निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 533) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

21 मार्च 2013

सं0 22 / नि0सि0(मोति0)–08–02 / 2007 / 380––अन्वेषण एवं योजना प्रमण्डल, गाड़ा, बेतिया से संबंधित उड़नदस्ता जांच प्रतिवेदन दिनांक 19.3.07 में उल्लिखित अनियमितताओं के संबंध में विभागीय पत्रांक 20 दिनांक 7.1.09 द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, अन्वेषण एवं योजना प्रमण्डल, गाड़ा, बेतिया से प्राप्त जबाव दिनांक 10.2.09 की समीक्षोपरान्त श्रीवास्तव के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–371 दिनांक 25.8.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गईः–

आरोप सं0–1 वर्ष 2005–06 में निर्मित चार पक्का प्रणाल के तीन अद्द प्रणालियों के एकत्रित नमूनों की जांच विशिष्टि से कम पाया गया।

आरोप सं0–2 वर्ष 2006–07 में निर्मित पक्का प्रणाल क्षेत्र की तीन अद्द प्रणालियों के नमूनों की जांच में लक्ष्मीपुर पर निर्मित पक्का नाले के ईट जोड़ाई में प्रयुक्त सीमेंट मोर्टार विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्रीवास्तव के विरूद्व '' आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है'' का निष्कर्ष अंकित किया गया। इस जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई और पाया गया कि जांच पदाधिकारी के द्वारा आरोपित पदाधिकारी के यह कहने पर कि ''नमूने का संग्रह उनके द्वारा संपादित कराये गये कार्य से संबंधित नहीं है'' के आधार पर प्रमाणित नहीं पाया गया है जिसे सरकार द्वारा अमान्य करार दिया गया है। अतः श्रीवास्तव के विरूद्व आरोपों को प्रमाणित मानते हुए दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया। दण्ड संसूचन के पूर्व श्री श्रीवास्तव से जांच प्रतिवेदन से असहमति के निम्नांकित विन्दुः–

'' जांच पदाधिकारी द्वारा आपके द्वारा दिये गये बचाव बयान में उल्लिखित तथ्य कि उनके कार्यक्षेत्र से नमूनों के संग्रह न किये जाने एवं उसके एवज में साक्ष्य के रूप में जल उपभोक्ता समति के अध्यक्ष से दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया जबकि ऐसे प्रतिवेदन कोई मान्य नहीं है, पर द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक 1168 दिनांक 14.9.11 द्वारा की गई।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये जबाव दिनांक 21.9.11 में प्रथम आरोप के संबंध में कहा गया कि वे दिनांक 30.6.06 को अन्वेषण एवं येाजना प्रमण्डल, गाड़ा का प्रभार ग्रहण किये है। यह आरोप प्रभार ग्रहण पूर्व का है अतः प्रभारी नहीं है।

दूसरे आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जिस स्थल से नमूना लिया गया है। वह भाग उनके द्वारा कराये गये कार्य के अन्तर्गत नहीं आता है। साथ ही उनके द्वारा कराये गये वर्ष 2006–07 का दो अन्य कार्य विशिष्टि के अनुरूप पाया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि विभागीय पत्रांक 375 दिनांक 15.5.08 जो निविदा के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में जारी दिशा निर्देश के प्रभावी होने तथा नमूना लिये गये स्थल उनके द्वारा कराये गये काम्र के अन्तर्गत नहीं होने के कारण यह आरोप नहीं बनता है।

द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा में श्री श्रीवास्तव के विरूद्व लक्ष्मीपुर वितरणी के पक्के नाले का आरोप प्रमाणित पाया गया जिलसके लिए श्रीवास्तव को निम्न दण्ड संसूचित किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया–

1. चेतावनी

2. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्व श्री श्रीवास्तव द्वारा पुनर्विचार अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा में पाया गया कि श्री श्रीवास्तव द्वारा उन्हीं तथ्यों का पुनः उल्लेख किया गया है जिसे उन्होंने द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में उल्लेचा किया था जिसके समीक्षोपरान्त उन्हें उक्त दण्ड संसूचित किया गया है।

अतः श्री श्रीवास्तव के पुनर्विचार अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित पुनर्विचार अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा उक्त निर्णय श्री श्रीवास्तव को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 533-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in